



राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

रोजगार विभाग राजस्थान



रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान

दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर-302001

फोन: 2373675, 2373454, 2368850 फैक्स -2362661

वेबसाइट www.rajrojgar.nic.in



राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

रोजगार विभाग राजस्थान



रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर-302001
फोन: 2373675, 2373454, 2368850 फैक्स -2362661
वेबसाइट www.rajrojgar.nic.in

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष-2011-12

1.0 परिचय :-

1.1 पृष्ठभूमि:-रोजगार विभाग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अभिसमय 88 के द्वारा की गई, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय रोजगार सेवा का गठन किया गया। 01-11-56 से पूर्व रोजगार सेवायें भारत सरकार के अधीन थी। तदुपरान्त शिवाराम कमेटी की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार को देश भर में कार्य की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण, निर्देश निर्धारित करना और समन्वय करना है तथा रोजगार कार्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों का संपादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

1.2 कार्य:-रोजगार कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य रोजगार तलाश करने वालों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार रोजगार तलाश करने में सहायता प्रदान करना एवं नियोजकों को उनकी मांग के अनुरूप उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध कराना है। इसके लिये रोजगार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार सहायता के इच्छुक बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर सम्प्रेषण, नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आशार्थियों को रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्व-रोजगार योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ व्यावसायिक मार्गदर्शन साहित्य का सृजन भी किया जाता है। विभाग रोजगार बाजार सूचना के अन्तर्गत रोजगार अवसरों का विश्लेषण एवं विकास के अलावा अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन अधिनियम 1959 एवं नियम 1960 के प्रवर्तन की कार्यवाही भी कराता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में सिविल रिट संख्या: 11646- 11724 /95 के मामले में दिनांक: 22.8.96 के निर्णय में निर्देशित किया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय से नाम मंगाने के साथ साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो तथा दूरदर्शन के रोजगार समाचार बुलेटिनों से प्रचार प्रसार करा कर भी आवेदन पत्र मांगें जावें। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो, या जो पंजीकृत नहीं हो, वे भी सीधे ही "नियोजकों को" अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

1.3 विस्तार:-राज्य में रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंग है। राज्य के सभी जिलों में रोजगार कार्यालय क्रियाशील हैं। स्थानीय ग्रामीण आशार्थियों को रोजगार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अजमेर जिले के उपखण्ड ब्यावर में ग्रामीण रोजगार कार्यालय कार्यरत है। महिलाओं हेतु विशेष रोजगार/स्व-रोजगार योजनाओं की जानकारी देने हेतु अलग से जयपुर में महिला रोजगार कार्यालय स्थापित है। निःशक्तजनों के लिये राजधानी जयपुर में विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन) कार्यरत है जो निःशक्तजनों को उनकी शारीरिक अशक्तता को दृष्टिगत रखते हुये उपयुक्त रोजगार सहायता एवं मार्गदर्शन देता है।

1.4 विभाग का प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा:-राज्य में रोजगार विभागीय समस्त सेवाओं के नियंत्रणार्थ जयपुर में रोजगार सेवा निदेशालय स्थापित है, जिसमें निदेशक के सहायतार्थ उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सृजित हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिये एक अलग कार्यालय स्थापित है, जिसके प्रभारी संयुक्त निदेशक है। राज्य के बेरोजगार आशार्थियों के अभाव-अभियोग के निवारण हेतु निदेशालय में रोजगार सहायता अनुभाग कार्यरत है, जिसके राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी सहायक निदेशक (वी.जी.) हैं। संभागीय मुख्यालयों के रोजगार कार्यालयों के संचालन सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा एवं जिला रोजगार कार्यालयों, अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों के लिये अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बांसवाडा, ग्रामीण रोजगार कार्यालय, ब्यावर (जिला-अजमेर) एवं औद्योगिक क्षेत्र भिवाडी, (जिला-अलवर) में उप रोजगार कार्यालय का प्रशासन जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। अनुसूचित-जाति/जनजाति के आशार्थियों के लिये अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र, उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, उदयपुर में पृथक यूनिट कार्यरत है। उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, महिला रोजगार कार्यालय, राजस्थान रोजगार सन्देश के कार्यालयाध्यक्ष सहायक निदेशक हैं। सभी विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन) जयपुर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्व-रोजगार कार्यालय अजमेर में जिला रोजगार अधिकारी कार्यरत है। जनजाति क्षेत्र सागवाडा (जिला डूंगरपुर) कुशलगढ (जिला बांसवाडा) एवं परमाणु संयंत्र रावतभाटा (जिला चित्तौडगढ) के उप रोजगार कार्यालयों में कनिष्ठ रोजगार अधिकारी प्रभारी हैं एवं नियंत्रण संबंधित जिले के जिला रोजगार अधिकारी का है।

2.0 रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं:-

- (1) रोजगार कार्यालयों सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन नियंत्रण एवं समन्वय।
- (2) रोजगार सेवा प्रक्रिया संबंधी कार्य एवं अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों का निरीक्षण।
- (3) रोजगार संबंधी सांख्यिकी, सर्वेक्षण एवं शोध।
- (4) रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 को राज्य में लागू करना तथा रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना।
- (5) व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं वृत्ति संबंधी सलाह।
- (6) विभागीय अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण।

2.1 रोजगार विभाग के विभिन्न एककों के कार्य एवं कार्य प्रणाली:-केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की समन्वित नीति के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय संचालित होते हैं। इनकी कार्य विधि एवं संचालन के लिये राष्ट्रीय रोजगार सेवा संहिता खण्ड प्रथम एवं द्वितीय में सिद्धान्त निहित हैं। केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यकारी दल गठित है, जिसमें केन्द्र सरकार के साथ ही समस्त राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। यह कार्यकारी दल रोजगार कार्यालयों के कार्य संबंधी नियमों आदि पर विचार विमर्श कर समय-समय पर निर्णय लेता रहता है। राज्य सरकार भी समय-समय पर प्रशासनिक आदेश जारी करती रहती है।

2.2 निरीक्षण :- मुख्यालय स्तर के समस्त अनुभागों का नियंत्रण एवं निरीक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों का निरीक्षण भी विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है।

2.3 उप-क्षेत्रीय एवं जिला रोजगार कार्यालय:- इनका कार्य जिले के सभी रोजगार सहायता कार्यक्रमों जैसे बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन, सम्प्रेषण, नियोजन, व्यावसायिक-मार्गदर्शन एवं वृत्ति संबंधी परामर्श देना है। साथ ही रोजगार बाजार सूचना एकीकरण तथा जिले की जनशक्ति आयोजना की योजनायें तैयार करना है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करने तथा वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाओं संबंधी मार्गदर्शन देने में रोजगार कार्यालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त जिलों में जन-शक्ति आयोजना एवं रोजगार सृजन समितियों की स्थापना की गई है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं एवं रोजगार अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही में इनकी बैठक आयोजित की जाती है। सम्बन्धित जिले के जिला प्रमुख, विधायकगण, सरकारी प्रतिष्ठानों तथा बड़े एवं मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधि, समाजसेवी आदि इसके सदस्य होते हैं एवं संबंधित जिले का सहायक निदेशक/ जिला रोजगार अधिकारी सदस्य सचिव होता है। बैठक में जिला स्तर पर रोजगार विकास, रोजगार सृजन प्रशिक्षण, रोजगार स्थिति आदि की समीक्षा की जाती है एवं प्रतिवेदन आयोजना विभाग को प्रेषित किया जाता है।

2.4 उप रोजगार कार्यालय:- आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के आशार्थियों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिला बांसवाड़ा में कुशलगढ एवं डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा में उप रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों में प्रवेश के लिये मार्गदर्शन दिया जाता है। सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के नियोजकों को योग्य आशार्थी उपलब्ध कराने की दृष्टि से अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में तथा चित्तौड़गढ जिले में राणा प्रताप सागर परमाणु संयंत्र रावतभाटा में एक-एक उप रोजगार कार्यालय कार्यरत है। इन उप रोजगार कार्यालयों में भी स्थानीय बेरोजगार आशार्थियों को विभाग द्वारा समस्त रोजगार सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। अजमेर जिले की जवाजा, ब्यावर, मसूदा पंचायत समितियों के ग्रामीण आशार्थियों को रोजगार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अजमेर जिले के उपखंड ब्यावर में ग्रामीण रोजगार कार्यालय कार्यरत है।

2.5 विशिष्ट कार्यों हेतु कार्यालय :-

1. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देने का कार्य संयुक्त निदेशक, स्व-नियोजन एवं रोजगार विकास, जयपुर के कार्यालय द्वारा किया जाता है।
2. उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा प्राप्त आशार्थियों को रोजगार सहायता एवं व्यावसायिक-मार्गदर्शन देने का कार्य व्यवसायिक एवं प्रशासनिक तथा जनशक्ति इकाई जयपुर द्वारा किया जाता है।
3. निःशक्तजन आशार्थियों को रोजगार सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने का कार्य विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन), जयपुर द्वारा किया जाता है।
4. बेरोजगार आशार्थियों को रिक्रियेशंस संबंधी जानकारी देने के लिये 'राजस्थान रोजगार

संदेश' (पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन सहायक निदेशक (प्रकाशन), जयपुर के कार्यालय द्वारा कराया जाता है।

5. अजमेर जिले के बेरोजगार आशार्थियों को गहन रूप से स्व-रोजगार एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु जिला रोजगार अधिकारी, स्व-रोजगार एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यालय, अजमेर में स्थापित है।
6. राजस्थान के चार विश्वविद्यालयों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार वृत्तिका, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

3.0 विभाग के सम्पादित कार्यों की प्रगति :-

3.1 रोजगार सहायता:-रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजकों एवं बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये निःशुल्क सेवायें प्रदान की जाती हैं।

वर्ष 2011 (जनवरी से दिसम्बर) में 126486 आशार्थियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2011 में 13401 रिक्तियां अधिसूचित की गईं, जिनके विरुद्ध 48707 आशार्थियों के नाम सम्प्रेषित किये गये एवं 3968 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया (तालिका-1 संलग्न है)।

3.2 विशिष्ट श्रेणी के आशार्थियों के लिये किये गये कार्य:-रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 2011 में 22167 अनुसूचित जाति, 14702 अनुसूचित जनजाति, 34664 अन्य पिछड़ा वर्ग, 15566 महिलाएं एवं 2305 निःशक्तजन आशार्थियों का पंजीयन किया गया तथा 585 अनुसूचित जाति, 273 अनुसूचित जनजाति, 1090 अन्य पिछड़ा वर्ग, 83 महिला आशार्थियों को नियोजित कराया गया (तालिका-2 संलग्न है)।

3.3 अल्पसंख्यकों के लिये किये गये कार्य:-प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में चल शिविर आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2011 में 26 शिविर आयोजित किये गये। 2574 आशार्थियों का पंजीयन किया गया, 300 का सम्प्रेषण किया गया तथा 10 को नियोजित कराया गया। साथ ही 4693 को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाकर 31 को विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत स्व-नियोजित कराया गया। 31 दिसम्बर, 2011 को 48101 अल्पसंख्यक श्रेणी के आशार्थी सजीव पंजीका पर उपलब्ध थे। (तालिका-3 संलग्न है)।

3.4 स्व-रोजगार एवं रोजगार विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां :- संवैतनिक रोजगार क्षेत्र में घटते अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए, बेरोजगार आशार्थियों को स्वरोजगार अपनाने में सहायता देने एवं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। लघुउद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंक, नाबार्ड, औद्योगिक विकास निगम, अनु. जाति/जनजाति विकास निगम, वित्त निगम, खादी ग्रामोद्योग, शहरी/ग्रामीण निकायों जैसे विभिन्न संस्थान तकनीकी जानकारी, वित्त आदि उपलब्ध कराकर आशार्थियों को स्वनियोजित होने में योगदान कर रहे हैं, तथापि अधिकांश युवाओं को इन संस्थानों की विद्यमानता एवं इनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी नहीं है। अतः यह विभाग विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वरोजगार के लिये

विभिन्न रोजगार अवसरों के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया और उपकरण, विपणन, स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन पत्रों के प्रारूप आदि जैसी आवश्यक सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर आशार्थियों को लाभान्वित करता है। वर्ष 2011 (जनवरी, 11 से दिसम्बर, 11 तक) रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने हेतु 1757 सामूहिक वार्तायें आयोजित की गई, जिनमें 43580 आशार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 28814 आशार्थियों को स्वरोजगार के संबंध में व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराई। विभाग के प्रयास से इन संस्थानों के माध्यम से 467 आशार्थी स्वनियोजित हुये।

राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से बेरोजगार आशार्थियों के लिए उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में 100 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किये गये, इनमें जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 तक 5473 आशार्थियों का प्रेषण किया गया। राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य के पांच अधिक पिछड़े जिलों यथा (अलवर, धौलपुर, करौली सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़) जिलों में "देवनारायण योजनान्तर्गत" कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3.5 व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ :-रोजगार कार्यालय शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों को उचित व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षणों की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। राज्य के प्रत्येक रोजगार कार्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये रोजगार साहित्य उपलब्ध है। समय समय पर रोजगार अधिकारी स्कूल/ कॉलेजों में जाकर कैरियर वार्ताएं तथा व्यावसायिक सूचनाओं की प्रदर्शनियों का आयोजन करने के अलावा रोजगार कार्यालयों में सामूहिक वार्ताओं का भी आयोजन करते हैं। वर्णित वर्ष-2011 में 1071 कैरियर वार्तायें आयोजित की गई, 71175 आशार्थियों को पंजीयन के समय मार्गदर्शन दिया गया तथा 2817 सामूहिक वार्तायें आयोजित की गई जिसमें 43254 आशार्थियों ने भाग लिया। इन अवसरों पर विभाग द्वारा तैयार व्यावसायिक एवं कैरियर मार्गदर्शनोपयोगी चार्ट का यथायोग्य प्रदर्शन एवं साहित्य वितरण भी किया गया। (तालिका-4 संलग्न है)।

3.6 रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम:-संगठित क्षेत्र की रोजगार स्थिति का अध्ययन करने के लिये रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में विभिन्न रोजगार सूचनाओं का त्रैमासिक अन्तराल पर संकलन किया जाता है। वर्ष-2011 (त्रैमासान्त सितम्बर-11) में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 19860 नियोजकों से सूचना एकत्रित की गई थी, जिनमें से 13945 नियोजक सार्वजनिक क्षेत्र के तथा 5915 निजी क्षेत्र के थे। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में 1281364 व्यक्ति नियोजित थे, जिनमें से 948521 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 332843 व्यक्ति निजी क्षेत्र में थे। (तालिका-5 संलग्न) राज्य में औद्योगिक वर्गानुसार रोजगार की स्थिति (तालिका-6) में दर्शाई गई है।

3.7 राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन:- बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिये विभाग द्वारा पाक्षिक पत्र "राजस्थान रोजगार संदेश" का प्रकाशन 34 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2011 (31 दिसम्बर 2011 तक) में लगभग 1,32,980 प्रतियाँ मुद्रित करवाई गई हैं। अनेक महत्वपूर्ण रिक्तियों का सम्पूर्ण विवरण इसी पत्र

में प्रकाशन होने पर प्रसार संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी कर ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिसम्बर 11 तक) में राजस्थान रोजगार सन्देश की बिक्री एवं विज्ञापन से आय 10,07,262 रु. हुई।

3.8 शोध एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम:- इस अनुभाग द्वारा वर्ष-2011 में निम्न कार्य सम्पन्न कराये गये:-

रोजगार कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन, मानदण्डों की पूर्ति संबंधी प्रगति विवरण तथा विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं का संकलन कर राज्य सरकार एवं अन्य विभागों को सूचनायें भिजवाई गई।

3.9 प्रशिक्षण कार्यक्रम:- निदेशालय स्थित प्रशिक्षण अनुभाग के माध्यम से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु मनोनीत किया जाता है। वर्ष-2011-12 में (माह दिसम्बर, 2011 तक) 15 अधिकारियों को सर्टिस (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार) नोएडा एवं हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु नामांकित किया गया।

4.0 रोजगार विभाग का कम्प्यूटरीकरण:- विभाग की वेबसाइट www.rajrojgar.nic.in वेब पर स्थापित है। इसमें विभाग का नागरिक अधिकार पत्र, रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम 1960 के अलावा पंजीयन, ई.आर. (प्रथम), ई.आर. (द्वितीय) फार्म एवं विभाग के सांख्यिकी आंकड़े आदि सूचनाएँ उपलब्ध हैं तथा इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर गतिविधियों को आनलाइन करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

5.0 वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2011-12

5.1 ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो :- बजट घोषणा 2009-10 संख्या 142 में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की स्थापना की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार के निर्णयानुसार ब्यूरो की स्थापना राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन के द्वारा की जा रही है।

5.2 अक्षत कौशल 2009 :- राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना, 2007 को संशोधित कर अक्षत कौशल, 2009 दिनांक 01-10-2009 से लागू कर दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य जब तक युवा अपना कौशल विकास कर रोजगार प्राप्त करें या अपना स्वयं का कार्य कर जीवन-यापन करने में सक्षम हो तब तक, सभी ऐसे स्नातक बेरोजगार, जिनके माता पिता की आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो, को 1 अक्टूबर, 2009 से इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित करना है। इस योजना के अंतर्गत 1-10-2009 से 31-12-2011 तक 14120 स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कौशल वाउचर वितरण कर 4,93,42,038 रुपये राशि के प्रशिक्षण वाउचर जारी किये गये।

5.3 रोजगार सहायता शिविर :- वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 11 तक) में राजस्थान आजीविका मिशन के आर्थिक सहयोग से राज्य के विभिन्न जिलों में 11 रोजगार सहायता

शिविर आयोजित कर 19114 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार/स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

5.4 रोजगार परामर्श केन्द्र:- बेरोजगार आशार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता, एवं सामाजिक और आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार, स्वरोजगार, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण, वृत्तिका विषय/व्यवसाय चयन आदि हेतु उपयुक्त परामर्श देने के लिये राज्य के सभी जिलों में रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापित है। इन परामर्श केन्द्रों पर वर्ष 2011 में (अप्रैल 2011 से दिसम्बर, 2011) 49755 आशार्थियों को रोजगार संबंधी परामर्श दिया गया। जिसमें से 10947 अनु. जाति एवं 2227 अनु. जन जाति के आशार्थी थे।

5.5 राजस्थान आजीविका मिशन

राजस्थान आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगारों के लिये आजीविका संवर्द्धन करना है। इसके तहत राजस्थान आजीविका मिशन द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जा रहे हैं:-

1. राजस्थान नोलेज कारपोरेशन (RKCL) द्वारा कौशल उन्नयन का कार्य किया जा रहा है

5.6 निजी रोजगार एजेन्सियों का पंजीयन:- भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई-दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश में संचालित निजी रोजगार एजेन्सियों की पंजीयन प्रक्रिया रोजगार विभाग में फरवरी-2004 से प्रारम्भ हुई थी। निजी रोजगार एजेन्सियों से सामंजस्य स्थापित कर बेरोजगार आशार्थियों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है। निजी रोजगार एजेन्सियों के रोजगार विभाग में पंजीयन से बेरोजगारों के आर्थिक शोषण को रोकने में मदद मिलेगी तथा इन एजेन्सियों के द्वारा कितना रोजगार प्रदान किया जा रहा है, की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। दिसम्बर-2011 तक 764 निजी रोजगार एजेन्सियों का पंजीयन रोजगार विभाग द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार विभाग को वर्ष-2011 के अन्त तक 10,04,000/-रु. की राजस्व आय हुई है।

5.7 एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना:- एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवकों को औद्योगिक एवं सेवा इकाइयों में प्रशिक्षण देकर रोजगार के सक्षम बनाना है ताकि वे अपनी आजीविका अच्छी प्रकार से चला सकें।

6.0 वार्षिक वित्त योजना

6.1 वार्षिक योजना वर्ष 2011-12:- वार्षिक योजना वर्ष 2011-12 हेतु 329.68 लाख की प्लान सीलिंग है। इस राशि में से रु. 252.50 लाख अक्षत योजना (स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजना) के लिये है।

6.2 विभाग की आय एवं राजस्व व्यय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) में राजस्थान रोजगार संदेश की बिक्री एवं विज्ञापन से आय रु. 10,07,262 रुपये हुई।

तालिका - 1

रोजगार कार्यालयों द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण वर्ष-2011

क्र.सं.	विवरण	वर्ष-2011
1.	पंजीयन	126486
2.	अधिसूचित रिक्तियां	13401
3.	सम्प्रेषण	48707
4.	नियोजन	3968
5.	सजीव पंजिका (31दिसम्बर,11 को)	713432
6.	निरस्त पंजीयन कार्डों की संख्या	178529
7.	रोजगार सहायता शिविर, वर्ष 2011-12 (दिसम्बर,11तक)	11

तालिका-2

विशिष्ट श्रेणी के आशार्थियों के लिये किये गये कार्यों का विवरण,वर्ष-2011

क्र.सं.	श्रेणी	पंजीयन	नियोजन	सजीव पंजिका
1.	अनुसूचित जाति	22167	585	133545
2.	अनुसूचित जनजाति	14702	273	96450
3.	अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)	34664	1090	195438
4.	आई.टी.आई.	5191	426	23038
5.	महिलाएँ	15566	83	104085
6.	निःशक्तजन	2305	0	17882

तालिका-3

प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के आशार्थियों के लिये किये गये कार्यों का विवरण वर्ष-2011

क्र.सं.	मद	वर्ष 2011
1.	सजीव पंजिका	48101
2.	पंजीयन	2574
3.	सम्प्रेषण	300
4.	नियोजन	10
5.	मार्गदर्शित आशार्थी	4693
6.	चल शिविर	26
7.	चल शिविरों में पंजीकृत	534

तालिका - 4

व्यावसायिक मार्गदर्शन अनुभाग द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण वर्ष-2011

क्र.सं.	मद	वर्ष-2011
1.	पंजीयन के समय मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	71175
2.	व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	76910
3.	आयोजित की गई सामूहिक वार्ताओं की संख्या	2817
4.	सामूहिक वार्ताओं में भाग लेने वाले आशार्थियों की संख्या	43254
5.	स्कूल/कॉलेजों इत्यादि में दी गई कैरियर मार्गदर्शन वार्ताओं की संख्या	1071

तालिका-5
राज्य में नियोजक एवं नियोजित व्यक्तियों की संख्या का विवरण वर्ष-2011
(सितम्बर, 2011)

क्षेत्र	नियोजक	नियोजित व्यक्ति	महिला रोजगार
(1) सार्वजनिक क्षेत्र			
1. केन्द्र सरकार	433	114402	5263
2. राज्य सरकार	8760	599616	139757
3. अर्द्ध केन्द्र सरकार	2534	70561	4902
4. अर्द्ध राज्य सरकार	1705	92007	7620
5. स्थानीय निकाय	513	71935	17120
योग	13945	948521	174662
(2) निजी क्षेत्र			
1. अधिनियमान्तर्गत संस्थान	2105	277931	37678
2. अधिनियम भिन्न संस्थान	3810	54912	13186
योग	5915	332843	50864
महायोग	19860	1281364	225526

तालिका-6
उद्योगानुसार रोजगार स्थिति का विश्लेषण
(सितम्बर-2011)

औद्योगिक संभाग	विवरण	नियोजक	नियोजन	
			कुल रोजगार	महिला रोजगार
A	कृषि शिकार वन	260	15724	508
B	मछली पालन	22	330	12
C	खनन	97	14025	1164
D	विनिर्माण	2048	207546	15091
E	विद्युत गैस जलापूर्ति	1317	73414	2682
F	निर्माण	828	34767	1388
G	थोक व फुटकर व्यापार	337	15360	686
H	होटल व रेस्टोरेन्ट	355	11752	661
I	परिवहन संग्रहण, संचार	191	118506	4661
J	वित्त	2743	49826	3732
K	स्थायी सम्पदा	335	15394	1057
L	लोक प्रशासन एवं सुरक्षा	2032	206595	24505
M	शिक्षा	8079	383290	104886
N	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	930	120763	62638
O	अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी क्रियायें	283	13680	1750
P	निजी हाउस होल्ड	3	392	105
	योग	19860	1281364	225526

तालिका - 7

आयोजना अन्तर्गत आर्थिक लक्ष्य (विद्यमान दायित्व) आउटले (राशि लाखों में)

बजट शीर्षक
2330-श्रम और रोजगार
02-रोजगार

क्र.सं	योजना का नाम	वर्ष 2011-12
1	001-निदेशन और प्रशासन 05-कार्यालय व्यय 08-वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवायें 62-कम्प्यूटराईजेशन एवं ततसंबंधी संचार व्यय	 6.00 0.01 18.00
2	101-रोजगार सेवायें (01)सामान्य कार्यालय 30-उत्सव एवं प्रदर्शनियाँ 36-वाहन किराया (02) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार सेवायें	 0.01 0.01 34.36
3	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना (01)-रोजगार विभाग के माध्यम से 28-विविध व्यय 30- उत्सव एवं प्रदर्शनियाँ 36-वाहनों का किराया 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना (03)- एकलव्य योजना 29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	 3.00 9.88 0.90 0.01
4	796-जन जाति क्षेत्र उपयोजना (01)-रोजगार विभाग के माध्यम से 28-विविध व्यय 30- उत्सव एवं प्रदर्शनियाँ 36-वाहनों का किराया 796-जन जाति क्षेत्र उपयोजना (03)-एकलव्य योजना 29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	 1.00 6.47 0.50 0.01

5	800—अन्य व्यय (02)राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना (अक्षत योजना) [01] बेरोजगारी भत्ता 28—विविध व्यय 800—अन्य व्यय (02) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना(अक्षत योजना) [02] योजना क्रियान्वयन व्यय 05—कार्यालय व्यय 11—विज्ञापन विक्रय प्रचार और प्रसार व्यय (06)—ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो को अनुदान (07)—अक्षत कौशल योजना [01]—अक्षत प्रशिक्षण वाउचरों का भुगतान 28—विविध व्यय 800—अन्य व्यय (07)—अक्षत कौशल योजना [02] योजना क्रियान्वयन व्यय 05—कार्यालय व्यय 11—विज्ञापन विक्रय प्रचार और प्रसार व्यय	0.01 0.01 0.01 0.01 65.43 0.01 0.01
6	4059.लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80—सामान्य निर्माण 051—सामान्य भवन (26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय) 17—वृहद निर्माण कार्य	4.36
	योग	150.01

तालिका - 8
आयोजना भिन्न/आयोजना के स्वीकृत बजट वर्ष 2011-12
आयोजना अन्तर्गत आर्थिक लक्ष्य (विद्यमान दायित्व)

लेखा मद	स्वीकृत बजट प्रावधान (लाखों में)	
	आयोजना भिन्न	आयोजना
2230-श्रम एवं रोजगार		
02-रोजगार		
001-निर्देशन और प्रशासन	261.89	24.01
004-अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी		
(01)संचालक रोजगार विभाग के माध्यम से	161.73	—
101-रोजगार सेवायें		
(01)सामान्य कार्यालय	680.78	0.02
101-रोजगार सेवायें		
(02) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार सेवायें	17.28	34.36
101-रोजगार सेवायें		
(04) महिला रोजगार कार्यक्रम	20.44	—
789- अनुसूचित जाति के लिये विशिष्ट संघटक योजना	—	13.79
796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	33.17	7.98
800-अन्य व्यय		
(02)- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना (अक्षत योजना)		
[01] बेरोजगारी भत्ता		
28-विविध व्यय	—	0.01
800-अन्य व्यय		
(02)- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना(अक्षत योजना)		
[02] योजना क्रियान्वयन व्यय	—	0.02
(06)-ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो को अनुदान	—	0.01
(07)-अक्षत कौशल योजना		
(01)-कौशल प्रशिक्षण वाउचरों का भुगतान		
28-विविध व्यय	—	65.43
800-अन्य व्यय		
(07)-अक्षत कौशल योजना		
[02] योजना क्रियान्वयन व्यय	—	0.02
800-अन्य व्यय		
(01)-रोजगार समाचार का मुद्रण एवं प्रकाशन		
28-विविध व्यय	4.00	—
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय		
80-सामान्य निर्माण		
051-सामान्य भवन		
(26)-सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)		
17-वृहद निर्माण कार्य		4.36
योग	1179.29	150.01

तालिका-9

विभाग के अधिकारी वर्ग की स्थिति (31-12-2011)

क्र.सं.	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पद	कार्यरत अधिकारियों की संख्या				
				कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निशक्त जन
1	निदेशक नियोजन	1	—	1	—	—	—	—
2	संयुक्त निदेशक	1	1	—	—	—	—	—
3	उप निदेशक	2	1	1	1	—	—	—
4	सहायक निदेशक	13	3	10	1	—	—	—
5	जिला रोज. अधिकारी	44	12	32	4	2	2	1
6	लेखाधिकारी	1	—	1	—	—	—	—
7	प्रोग्रामर	1	1	—	—	—	—	—

तालिका-10

विभाग में स्टाफ की स्थिति (31-12-2011)

क. सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद	आस्थगित पद	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या				
					कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन
1	क.रो.अधिकारी	19	5	—	14	3	3	—	—
2	निजी सहायक	1	1	—	—	—	—	—	—
3	कार्या.अधीक्षक	1	1	—	—	—	—	—	—
4	रोजगार सहायक	13	10	—	3	1	2	—	—
5	लेखाकार	1	—	—	1	—	—	—	—
6	क.लेखाकार	3	—	—	3	—	—	1	—
7	वरिष्ठ लिपिक	66	24	1	42	5	5	9	1
8	वरि.कलाकार	1	—	—	1	—	—	—	—
9	कलाकार	1	—	—	1	—	—	—	—
10	संगणक	2	1	—	1	—	—	—	—
11	कनि.लिपिक	160	9	—	151	16	7	39	17
12	प्रूफ रीडर	1	—	—	1	—	—	—	—
13	च.श्रे.कर्मचारी	68	6	—	62	14	16	11	3

परिशिष्ट

रोजगार विभाग के कार्यालयों में पद स्थापित अधिकारियों का विवरण (31-12-2011)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम, पता व दूरभाष नं.	पद नाम	पदस्थापित अधिकारी का नाम
1.	रोजगार सेवा निदेशालय, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर (0141) 2373675 (का.) (0141) 2373454 (का.) (0141) 2704157 (नि.) (0141) 2362661 (फैक्स) (0141) 2368850 (पी.बी. एक्स.)	1. निदेशक 2. उप निदेशक (प्रशासन) (रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित) 3. उप निदेशक (नि.प.) 4. सहा. निदेशक (ई.एम.आई.) (रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित) 5. सहा. निदेशक (वी.जी.) 6. सहा. निदेशक (प्रशिक्षण) 7. सहा. निदे. (शोध एवं सर्वे.) 8. जिलारोज. अधिकारी (प्रवर्तन) 9. लेखाधिकारी	श्री एम.एम. जोशी, आर.ए.एस. डॉ. फरजाना आजाद, श्री आर.एस. बैरवा, (नियोजन पद्धति) श्री दुलीचन्द जाट श्री मुरारी लाल विजयवर्गीय श्री सर्वेश व्यास श्री वी.डी. गुप्ता श्री कमलेश थानवी श्री रमेश चन्द मेहता
2.	स्वनियोजन एवं रोजगार विकास, जयपुर (0141) 2362661	संयुक्त निदेशक (रिक्त पद)	श्री आर.एस. बैरवा उपनिदेशक (पद्धति) अतिरिक्त कार्यभार
3.	राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर (0141) 2368850, 2368398	सहायक निदेशक	श्री प्रवीण माथुर (II)
4.	व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, जयपुर (0141) 2368850	सहायक निदेशक	श्री प्रवीण माथुर-I
5.	विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन) जयपुर, (0141) 2705533	जिला रोजगार अधिकारी	श्री शिवपाल सिंह राठौड
6.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र जयपुर,	जिला रोजगार अधिकारी	श्री धर्मपाल मीणा
7.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बीकानेर	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री मदन लाल गर्ग, जि.रो.अ. श्रीगंगानगर को अतिरिक्त कार्यभार

8.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र जोधपुर,	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री पीरा राम नागौरा, जि.रो.अ. पाली को रिक्त पद के विरुद्ध चार्ज दिया हुआ है।
9.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, उदयपुर ☎ (0294) 2413955	जिला रोजगार अधिकारी	श्री धनपत सिंह राव
10.	व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्वरोजगार कार्यालय, अजमेर ☎ (0145) 2432903	जिला रोजगार अधिकारी	श्री सी.वी.अग्रवाल
11.	उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर ☎ (0141) 2617750	1.सहायक निदेशक 2.जिला रोज.अधिकारी 3.जिला रोज.अधिकारी 4.जिला रोज.अधिकारी 5.प्रोग्रामर	श्री महेश शर्मा श्री एम.एल.तेंवर श्री विवेक गोस्वामी श्री जे.पी.मिश्रा रिक्त
12.	महिला रोज.कार्यालय, जयपुर ☎ (0141) 2700222	सहायक निदेशक	श्रीमती मीना शर्मा
13.	उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर, ☎ (0145) 2432903	1.सहायक निदेशक 2.जिला रोजगार अधिकारी	श्री राजेन्द्र व्यास श्रीमती शशि कान्ता जैन
14.	जिला रोजगार कार्यालय अलवर☎ (0144)2348070	जिला रोजगार अधिकारी	श्री श्याम लाल साटोलिया
15.	जिला रोजगार कार्यालय, भरतपुर☎ (05644)223478	जिला रोजगार अधिकारी(रिक्त पद)	श्री श्याम लाल साटोलिया,जिला रोजगार अधिकारी,अलवर के पास अतिरिक्त कार्यभार
16.	जिला रोजगार कार्यालय, भीलवाडा☎ (01482)232628	जिला रोजगार अधिकारी	श्री मुकेश गुर्जर
17.	उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, बीकानेर ☎ (0151)2226721	सहायक निदेशक (रिक्त पद)	श्री मदनलाल गर्ग, जि.रो.अ. श्रीगंगानगर को अतिरिक्त कार्यभार
18.	उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय झुन्झुनु ☎ (01592)232631	जिला रोजगार अधिकारी	श्री नवरंग सिंह महला
19.	उप-क्षेत्रीय रोज.कार्यालय जोधपुर☎ (0291)2544041	1.सहायक निदेशक (रिक्त पद) 2.जिला रोज.अधिकारी (रिक्त पद)	श्री पीराराम नागौरा, जि.रो.का. पाली को सहायक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार श्री आनन्द कुमार सुथार, जिला रोजगार अधिकारी, सिरोही के पास अतिरिक्त कार्यभार
20.	उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कोटा, ☎ (0744)2323132	1.सहायक निदेशक (रिक्त पद) 2.जिला रोज.अधिकारी	श्री जी.पी.वर्मा, जि.रो.अ. कोटा को आहरण एवं वितरण अधिकार दिये गये हैं। श्री जी.पी.वर्मा

21.	उप-क्षेत्रीय रोज कार्या श्रीगंगानगर । (0154) 2452837	जिला रोजगार अधिकारी	श्री मदन लाल गर्ग
22.	उप-क्षेत्रीय रोज कार्या उदयपुर । (0294)2431927	1 सहायक निदेशक 2 जि रो अधिकारी	श्री प्रेमराम श्री राहुल दीक्षित
23.	जिला रोजगार कार्यालय बांसवाडा । (02962)243723	जिला रोजगार अधिकारी(रिक्त पद)	श्री धनपत सिंह राव, जि रो.अ. यू.ई.बी उदयपुर (अतिरिक्त कार्यभार)
24.	अनुसूचित जाति/ जनजाति अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बांसवाडा	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री धनपत सिंह राव, जि रो.अ. यू.ई.बी उदयपुर (अतिरिक्त कार्यभार)
25.	जिला रोजगार कार्यालय, बारां, । (07453) 232016	जिला रोजगार अधिकारी	श्री जगदीश नारायण निर्वाण
26.	जिला रोजगार कार्यालय, बाडमेर, । (02982)220614	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, जि रो.अ. जालौर को अतिरिक्त कार्यभार
27.	जिला रोजगार कार्यालय, बून्दी, । (0747)2443112	जिला रोजगार अधिकारी	श्रीमती दीपिका चुण्डावत
28.	जिला रोजगार कार्यालय, चित्तौड़गढ़, । (01472) 241053	जिला रोजगार अधिकारी	श्री आलोक शुक्ला
29.	जिला रोजगार कार्यालय, चूरु, । (01562)252021	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री नौरंग सिंह महला, जि.रो.अ. झुंझुनू (अतिरिक्त कार्यभार)
30.	जिला रोजगार कार्यालय, दौसा, । (01427)224044	जिला रोजगार अधिकारी	श्री हरिराम बडगूजर
31.	जिला रोजगार कार्यालय, धौलपुर, ।(05642)220804	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री श्याम लाल साटोलिया, जिला रोजगार अधिकारी,अलवर के पास अतिरिक्त कार्यभार
32.	जिला रोजगार कार्यालय, डूंगरपुर, । (02964)232714	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री धनपत सिंह राव, जि.रो.अ., यू.ई.बी. उदयपुर (अतिरिक्त कार्यभार)
33.	जिला रोजगार कार्यालय, हनुमानगढ़ ।(01552)261650	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त)	श्री मदन लाल गर्ग, जि.रो.अ. श्रीगंगानगर (अतिरिक्त कार्यभार)
34.	जिला रोज.कार्या. जैसलमेर । (02992)252512	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री भूराराम गोदारा, जि.रो.अ. नागौर को अतिरिक्त कार्यभार
35.	जिला रोजगार कार्यालय, जालौर, ।(02973)223761	जिला रोजगार अधिकारी	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़
36.	जिला रोजगार कार्यालय, झालावाड, । (07432)232318	जिला रोजगार अधिकारी	श्री मसरूर अहमद

37.	जिला रोजगार कार्यालय, करौली, ☎(07464)251436	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री धर्मवीर पचौरी, जि.रो.अ. सवाईमाधोपुर को अतिरिक्त कार्य दिया हुआ है।
38.	जिला रोजगार कार्यालय, नागौर, ☎ (01582)240882	जिला रोजगार अधिकारी	श्री भूराराम गोदारा
39.	जिला रोजगार कार्यालय, पाली, ☎ (02932)220404	जिला रोजगार अधिकारी	श्री पीराराम नागौरा
40.	जिला रोजगार कार्यालय, राजसमन्द, ☎ (02952)250526	जिला रोजगार अधिकारी	श्री राघवेन्द्र सिंह
41.	जिला रोज.कार्यालय सवाई माधोपुर ☎ (07462)220332	जिला रोजगार अधिकारी	श्री धर्मवीर पचौरी
42.	जिला रोजगार कार्यालय, सीकर, ☎ (01572)254408	जिला रोजगार अधिकारी	श्री चैन सिंह शेखावत,
43.	जिला रोजगार कार्यालय, सिरोही, ☎(02972)224142	जिला रोजगार अधिकारी	श्री आनन्द कुमार सुथार
44.	जिला रोजगार कार्यालय, टोंक, ☎ (01432)248037	जिला रोजगार अधिकारी	श्री राजकुमार मीणा
45.	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, ब्यावर (अजमेर)	जिला रोजगार अधिकारी	श्री तखत सिंह राठौड
46.	उप रोजगार कार्यालय, भिवाडी (अलवर) ।	जिला रोजगार अधिकारी	श्रीमती तृप्ति जोशी,
47.	जिला रोजगार कार्यालय, प्रतापगढ़, (चित्तौड़गढ़)	जिला रोजगार अधिकारी, (रिक्त पद)	श्री आलोक शुक्ला, जि.रो.अ. चित्तौड़गढ़ (अतिरिक्त कार्यभार)
48.	उप रोजगार कार्यालय, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री धनपत सिंह राव, जि.रो.अ., यू.ई.बी. उदयपुर (अतिरिक्त कार्यभार)
49.	उप रोजगार कार्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	श्री मनोज पाठक
50.	उप रोजगार कार्यालय, सागवाड़ा (झुंजरपुर)	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा